न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
279/18	02.11.2018	21.6.2019

1. कृष्ण कुमार
2. पोहप सिंह पुत्रान श्री जगमाल
3. रेखा पुत्री श्री जगमाल
4. अमरपति पत्नी जगमाल जाति अहीरान निवासीयान ग्राम बीलाहेडी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

:– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत
धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1.श्री सुबे सिंह यादव अभिभाषक वादी
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार कोटकासिम

वादी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 27/0.1900, 135/0.2200, 262/0.3000, 321/0.0200, 326/0.2000, 673/0.1200, 955/0.0900, 1232/0.3200, 1371/0.4400 हैक्टयर कुल किता 9 रकबा 1.900 हैक्टयर मुताबिक खाता सं0 155 वाके ग्राम बीलाहेडी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में स्थित है। जो इस वादपत्र में विवादित आराजीयात कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064, 2065 से 2068, 2069 से 2072 तक संलग्न वादपत्र है। विवादित आराजीयात में मिन वादीगणों का 1/3 भाग खातेदारी कब्जा काश्त का है। जिस पर मिन वादीगण काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकोर्डस में अमल दरामद हो रहा है। मिन वादीगण सं0 1 लगायत 3 के पिता व मिन वादिया सं0 4 के पति का सही नाम जगमाल है। मिन वादीगणों के नाम से जो आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र व परिवारराशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात बने हुये है उनमें भी मिन वादीगण के पिता व पति का नाम जगमाल ही दर्ज हो रहा है। जो मिन वादीगण के पिता व पति के नाम से पहचानपत्र बना हुआ है उसमें भी उनका नाम जगमाल ही दर्ज है। यानिकि मिन वादीगण के नाम के पीछे हमारी वल्दीयत जगमाल ही दर्ज है एवं विवादित आराजीयात के अलावा ग्राम बीलाहेडी में और भी मिन वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 330, 716 मुताबिक खाता सं0 99 है। जिसमें मिन वादीगणों का 1/6 भाग है। इस खाता सं0 99 में

उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

मिन वादीगणो के पिता व पति का सही नाम जगमाल दर्ज हो रहा है। यानिकि मिन वादीगण के नाम के पीछे हमारी वल्दीयत जगमाल ही दर्ज है। परन्तु वक्त सैटिलमैन्ट, सेटिलमेन्ट के अधिकारियो व कर्मचारियो की गलती से विवादित आराजीयात खाता सं0 155 मिन वादीगण के पिता व पति का नाम जगराम दर्ज कर दिया जो कि गलत है। जिसकी पुनरावृति ता हाल जमाबंदी में होती चली आ रही है। मिन वादीगणों ने इस लगलत इन्द्राज को यानि की मिन वादीगणों ने अपनी वल्दीयत विवादित आराजीयात में जगमाल की जगह जगमाल दुरूस्त कराने के लिये प्रतिवादी के समक्ष दिनांक 17.09.2018 को लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मिन वादीगणों के नाम के पीछे हमारी वल्दीयत जगराम की जगह सही वल्दीयत जगमाल दर्ज की जावे जिस पर प्रतिवादी साफ इंकार हो गया और अदालत से आदेश लाने पर ही दुरूस्ती इन्द्राज अदालत श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिम आया है। इसलिये मिन वादीगण, विवादित आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में अपनी वल्दीयत जगराम की जगह जगमाल दर्ज करवाने के यानि मिन वादीगण अपने नाम के पीछे अपनी वल्दीयत जगराम की जगह जगमाल दर्ज करवाने के अधिकारी है। मिन वादीगणो के नाम के पीछे वल्दीयत जगराम रहने से मिन वादीगण विवादित आराजीयात को किसी भी बैंक में रहन रखकर किसान क्रेडिट कार्ड नही बनवा पा रहे है और ना ही दीगर लोगो को बेचान व दीगर लोगो के साथ तबादला नही कर पा रहे है और ना ही राज्य सरकार व भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठा पा रहे है। इसलिये मिन वादीगण अपनी वल्दीयत जगराम की जगह जगमाल दर्ज करवाने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार कोटकासिम जिला–अलवर ने अपना जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकित किया कि जमाबन्दी वाके ग्राम बीलाहेड़ी सम्वत 2061–2064 के खाता संख्या 144 में तथा अन्य खाते में वादीगण पिता व पति का नाम जगमाल दर्ज है। विवादित भूमि के खाता संख्या 155 में रकबा किता 9 कुल रकबा 1.90 हैक्टयर में वादीगण का 1/3 हिस्सा खातेदारी में दर्ज होकर राहिन एस0बी0आई0 बैंक शाखा कोटकासिम के नाम दर्ज है लेकिन वादीगण के पिता/पति का नाम जगराम दर्ज है। जगराम के स्थान पर जगमाल दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ती नही है।

बहस विद्वांन अभिभाषक वादी सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया और कहा कि विवादित आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 27/0.1900, 135/0.2200, 262/0.3000, 321/0.0200, 673/0.1200, 955/0.0900, 1232/0.3200, 1371/0.4400 हैक्टयर कुल किता 9 रकबा 1.900 हैक्टयर मुताबिक खाता सं0 155 वाके ग्राम बीलाहेडी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0 में स्थित है। जो इस वादपत्र में विवादित आराजीयात कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064, 2065 से 2068, 2069 से 2072 तक संलग्न वादपत्र है। विवादित आराजीयात में मिन वादीगणों का 1/3 भाग खातेदारी कब्जा काश्त का है। जिस पर मिन वादीगण काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रिकोर्डस में अमल दरामद हो रहा है। मिन वादीगण सं0 1 लगायत 3 के पिता व मिन वादिया सं0 4 के पति का सही नाम जगमाल है। मिन वादीगणों के नाम से जो आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र व परिवारराशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात बने हुये है उनमें भी मिन वादीगण के पिता व पति का नाम जगमाल ही दर्ज हो रहा है। जो मिन वादीगण के पिता व पति के नाम से पहचानपत्र बना हुआ है उसमें भी उनका नाम जगमाल ही दर्ज है। यानिकि मिन वादीगण के नाम के पीछे हमारी वल्दीयत जगमाल ही दर्ज है एवं विवादित आराजीयात के अलावा ग्राम बीलाहेडी में और भी मिन वादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात हाल खसरा नम्बरान 330, 716 मुताबिक खाता सं0 99 है। जिसमें मिन वादीगणों का 1/6 भाग है। इस खाता सं0 99 में मिन वादीगणो के पिता व पति का सही नाम जगमाल दर्ज हो रहा है। यानिकि मिन वादीगण के नाम के पीछे हमारी वल्दीयत

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

जगमाल ही दर्ज है। परन्तु वक्त सैटिलमेन्ट, सेटिलमेन्ट के अधिकारियो व कर्मचारियो की गलती से विवादित आराजीयात खाता सं0 155 मिन वादीगण के पिता व पति का नाम जगराम दर्ज कर दिया जो कि गलत है। जिसकी पुनरावृति ता हाल जमाबंदी में होती चली आ रही है। मिन वादीगणों ने इस लगलत इन्द्राज को यानि की मिन वादीगणों ने अपनी वल्दीयत विवादित आराजीयात में जगमाल की जगह जगमाल दुरूस्त कराने के लिये प्रतिवादी के समक्ष दिनांक 17.09.2018 को लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मिन वादीगणों के नाम के पीछे हमारी वल्दीयत जगराम की जगह सही वल्दीयत जगमाल दर्ज की जावे जिस पर प्रतिवादी साफ इंकार हो गया और अदालत से आदेश लाने पर ही दुरूस्ती इन्द्राज अदालत श्रीमान के समक्ष पेश करना लाजिम आया है। इसलिये मिन वादीगण, विवादित आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में अपनी वल्दीयत जगराम की जगह जगमाल दर्ज करवाने के यानि मिन वादीगण अपने नाम के पीछे अपनी वल्दीयत जगराम की जगह जगमाल दर्ज करवाने के अधिकारी है। मिन वादीगणो के नाम के पीछे वल्दीयत जगराम रहने से मिन वादीगण विवादित आराजीयात को किसी भी बैंक में रहन रखकर किसान क्रेडिट कार्ड नही बनवा पा रहे है और ना ही दीगर लोगो को बेचान व दीगर लोगो के साथ तबादला नही कर पा रहे है और ना ही राज्य सरकार व भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठा पा रहे है। इसलिये मिन वादीगण अपनी वल्दीयत जगराम की जगह जगमाल दर्ज करवाने के अधिकारी है। इसकी ताईज में आधार कार्ड, राशनकार्ड, एवं साक्ष्य में पी0डब्लू–1, पी0डब्लू–2, पी0डब्लू–3 के शपथ पत्र पेश किये हैं।

विद्वांन अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता का कथन है कि विवादित आराजीयात में मिन वादीगणों का 1/3 भाग खातेदारी कब्जा काश्त है जिस पर मिन वादीगण काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण संख्या–1 लगायत 3 के पिता व वादिया संख्या–4 के पति का सही नाम जगमाल है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, में वादी के पिता का नाम जगमाल सिंह अंकित है। जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 के खाता संख्या–144 में वादी के पिता/पति का नाम जगमाल सिंह अंकित है एवं जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 में वादी के पिता/पति का नाम जगराम अंकित है। दस्तावेजात एवं जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 से ताईद है कि वादीगण के पिता /पति का नाम जगमाल है। इसलिए वादीगण के पिता/पति का नाम जगराम के स्थान पर जगमाल दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजीयात हाल ख0न0 27/0.1900, 135/0.2200, 262/0.3000, 321/0.0200, 326/0.2000, 673/0.1200, 955/0.0900, 1232/0.3200, 1371/0.4400 हैक्टयर कुल किता 9 रकबा 1.900 हैक्टयर वाके ग्राम बीलाहेड़ी तहसील कोटकासिम में वादीगण पिता/पति का नाम जगराम के स्थान पर जगमाल दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को मेरे द्वारा टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)
कोटकासिम(अलवर)

(पर्चा डिक्री)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
279 / 18	02.11.2018	

1. कृष्ण कुमार
2. पोहप सिंह पुत्रान श्री जगमाल
3. रेखा पुत्री श्री जगमाल
4. अमरपति पत्नी जगमाल जाति अहीरान निवासीयान ग्राम बीलाहेडी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

:– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

:– प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत
धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1.श्री सुबे सिंह यादव अभिभाषक वादी
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार कोटकासिम

अतः वादीगण का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजीयात हाल ख0न0 27 / 0.1900, 135 / 0.2200, 262 / 0.3000, 321 / 0.0200, 326 / 0.2000, 673 / 0.1200, 955 / 0.0900, 1232 / 0.3200, 1371 / 0.4400 हैक्टयर कुल किता 9 रकबा 1.900 हैक्टयर वाके ग्राम बीलाहेड़ी तहसील कोटकासिम में वादीगण पिता / पति का नाम जगराम के स्थान पर जगमाल दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को मेरे द्वारा टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)

Scanned by CamScanner